

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 148] नई दिल्ली, बुधवार, जून 5, 1975/च्येष्ठ 15, 1897
No. 148] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 5, 1975/JYAISTHA 15, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रख जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June 1975

G.S.R. 321(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2), read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), the Central Government hereby appoints Shri T. C. Dutt, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Finance (Department of Expenditure), New Delhi, as a Director on the Board of Directors of the Food Corporation of India *vice* Shri S. K. Ghose and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Food and Agriculture (Department of Food), No. G.S.R. 37, dated the 2nd January, 1965, namely :—

In the said notification, for entry (3), the following entry shall be substituted, namely :—

(3) "Shri T. C. Dutt, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Finance (Department of Expenditure), New Delhi".

[No. F. 4-1/73-FC-I]

L. C. GUPTA, Jt. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 1975

सांफा०नि० 321(अ).— खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) के साथ पठित उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री टी० सी० दत्त, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), नई दिल्ली को श्री एस० के० घोष के स्थान पर भारतीय खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड में एक निदेशक के रूप में नियुक्त करती है और भूतपूर्व खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग), भारत सरकार, की अधिसूचना संख्या सांफा०नि० 37, दिनांक 2 जनवरी, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, प्रविष्टि 3 के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

- (3) “श्री टी० सी० दत्त, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), नई दिल्ली ।

[सं० फा० 4-1/73-एफ०सी०-1]

एन० सी० गुप्त, संयुक्त सचिव ।